प्रति

श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय

वृत्त ...., तहसील ....

जिला ....

विषय : सी एम हेल्पलाइन क्रमांक ....

प्रकरण में आवेदक की शिकायत के संबंध म लेख है कि शिकायतकर्ता से चर्चा एवं राजस्व अभिलेख के अवलोकन उपरांत जांच मे पाया गया कि ग्राम .... स्थित भूमि ख0नं0 .... शिकायतकर्ता के नाम से वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि न्यायालय नायब तहसीलदार .... वृत्त .... के राजस्व प्रकरण क्रमांक ..../अ-27/2019-2020 आदेश पारित दिनांक .... के अनुसार शिकायतकर्ता को बटवारा के माध्यम से प्राप्त हुई है, जिसका कम्प्यूटर अभिलेख में अपडेशन वर्ष 2019-2020 के उपरांत हुआ है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन के पत्र क्रमांक 03-08-19/सात-6 भोपाल दिनांक 18 फरवरी 2019 की कंडिका 2(vi) के अनुसार अंतिम की गयी हितग्राही सूची में आगामी पांच वष केलिए मृत्यु के आधार पर वारिसाना हक में प्राप्त भूमि के अलावा कोई परिवर्तन मान्य नही होगा एवं कंडिका 3(ii) के अनुसार दिनांक 01/02/2019 की स्थिति के अनुसार ही हितग्राहियों की अंतिम सूची निर्धारित की गई है। चूंकि शिकायतकर्ता को उक्त भूमि बटवारा के माध्यम से कम्प्यूटर अिभलेख के अनुसार वर्ष 2019-2020 के पश्चात् प्राप्त हुई है, जिस कारण शिकायतकर्ता का नाम नियमानुसार सारा पोटल पर 'अंतिम की गयी हितग्राहियो की सूची' में नहीं आ पाया है और वर्तमान स्थिति में सारा पोर्टल पर पी एम किसान योजना में शिकायतकर्ता का पंजीयन पटवारी द्वारा किया जाना संभव नहीं है। शिकायतकर्ता को इस सम्बन्ध में जानकारी दी जा चुकी है। अतः शिकायत में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से शिकायत नस्ती कर फ़ोर्स क्लोज की अनुशंसा सहित सादर प्रेषित है।